

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी

ज अदालत

पुनाराम व अन्य

बनाम

राजेश्वर सरकार वरिष्ठ तहसीलदार बावडी

सम मुकदमा/31, 136 RLR Act . नं.

162/2020 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

3/11/2020

बावडी/प्राथी/अप्रीगण व एक वाद/प्रार्थना पत्र, अप्रीगण विभाग, बावडी जज/अप्रीगण/रिपॉर्टिंग के तहत प्रार्थना पत्र जो जजे क्लिंकर केसा गया।
 अप्रीगण/रिपॉर्टिंग/रिपॉर्टिंग की तथी जारेय प्रकल्प की जावर पत्रावली दिनांक 17/11/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी

17/11/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार बावडी से मौका जॉन्च रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्तु बहस एवं ऑफेशियर दिनांक 3/12/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी

03/12/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा विवेकन किया गया कि मौजा राजेश्वर राम बावडी एक द्वितीय की जमावडी विहम संवर 2073-2076 अनुसार खसरा सं. 569 व 569/1 रंका कुमरा; 1.6342 हेक्टेकर व 1.6342 हेक्टेकर निस्म बावडी द्वितीय कुमरा; भगाराम व पुनाराम के नाम राजेश्वर रिकॉर्ड में भूजि दर्ज है। उक्त खसरा का मौके पर बरवा



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किपा हुआ है जिसमें राजस्व कर्मचारी
द्वारा सुविधा मौके पर कब्जा स्थिति
अनुसार ~~अनुसार~~ नहीं करके गलत
तरमीम कर दी गई।

पत्रावली का उपलोकन किपा
गया एवं प्राथमिकता की वृद्धि पर मन्त
किपा गया। यदि मन्त व उपलोकन
प्राथमिकता के सार्थकता को स्वीकार
किपा जाकर तहसीलदार वावड़ी को
आदेशादिपत्रे जाते हैं कि तहसीलदार
वावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट
के अनुसार मौजा वावड़ी चक द्वितीय के
खसरा नं 569 व 569/1 के मध्य
मौके के अनुसार कब्जा अनुसार तरमीम
की जावे। तहसीलदार वावड़ी द्वारा
प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट इस आदेश
का अंग रहेगी।

पत्रावली फंसल नुमार होकर
नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर
है। फंसल नुम्बर न्यायालय में सुनाया
गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपसंचालक अधिकारी, वावड़ी